जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर दिनांक 09.05.2026

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0स0 69/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/333/352/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 28.01.2026 को वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त 1. सुखवेन्द्र सिंह पुत्र भीम सिंह 2.रमा देवी पत्नी सुखवेन्द्र सिंह निवासीगण मौ0 चौधरीयान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 3.आनन्द पुत्र गुलाढी निवासी मोदीनगर (गाजियाबाद) 4. गवा पत्नी रामपाल 5.रामपाल पुत्र रघुवीर निवासीगण तीबडी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा एक राय होकर फर्जी दानपत्र, शपथ पत्र एवं अन्य कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनकी संपत्ति के एक हिस्से को अपने नाम दर्ज कराने का प्रयास किया गया तथा विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।

तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 69/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/333/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 08.04.2026 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण सुखवेन्द्र सिंह व रामपाल उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1. सुखवेन्द्र सिंह पुत्र भीम सिंह निवासी मौ0 चौधरीयान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. रामपाल पुत्र रघुवीर निवासीगण तीबडी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 अंकुरपाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. का0 2070 मोहित जावला कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. का0 1198 सन्दीप कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर   दिनांक 09.05.2026

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0स0 354/2026 धारा 108 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 08.05.2026 को वादी शिवम दिवाकर पुत्र हरिश्चन्द्र दिवाकर निवासी ग्राम भिक्कावाला थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गई कि दिनांक 05.05.2026 को उनकी बहन ने अभियुक्तगण 1.नितिन पुत्र विमल, 2.नत्थो देवी पत्नी विमल, 3.सुदेश भाई पुत्र विमल, 4. राजेश्वरी पत्नी सुदेश 5.संजू ननद पुत्री विमल निवासीगण ग्राम निजामतपुरा गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा कथित दहेज प्रताड़ना से आहत होकर विषैला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 354/2026 धारा 108 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

दिनांक 08.04.2026 को थाना कोतवाली शहर पुलिस अभियुक्त नितिन कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नितिन कुमार पुत्र विमल निवासी ग्राम गंज थाना कोतवाली शहर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 रोहिताश कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
2. का0 1797 संदीप कुमार को0शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना हल्दौर **दिनांक 09.05.2026**

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 13/2026 धारा 318(2)/336(3)/338/340(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.01.2026 को वादी श्री अनिल कुमार पुत्र सत्यप्रकाश निवासी ग्राम खेडकी टप्पा, थाना हल्दौर, जनपद बिजनौर द्वारा थाना हल्दौर पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त पुष्पेन्द्र अग्निहोत्री पुत्र प्रेम नारायण निवासी ग्राम टेढ़ा सुमेरपुर, थाना सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर द्वारा वादी एवं वादी की बहन की आरबीआई में नौकरी लगवाने के नाम पर 17,69,800/- रुपये प्राप्त कर फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर प्रेषित करते हुए धोखाधड़ी की गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 13/2026 धारा 318(2) बीएनएस बनाम पुष्पेन्द्र अग्निहोत्री पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही में मुकदमा उपरोक्त में धारा 336(3)/338/340(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 08.05.2026 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त पुष्पेन्द्र अग्निहोत्री पुत्र प्रेम नारायण निवासी ग्राम टेढा सुमेरपुर थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पुष्पेन्द्र अग्निहोत्री पुत्र प्रेम नारायण निवासी ग्राम टेढा सुमेरपुर थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 शेर सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

2.का0 506 देवेन्द्र थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

3.का0 1657 प्रभात कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना हीमपुर दीपा **दिनांक 09.05.2026**

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 37/2026 धारा 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11(1)(क) पशु क्रूरता अधिनिमय से संबंधित 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.05.2026 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अकबरपुर तिगरी स्थित जंगल में एक संदिग्ध सेन्ट्रो कार(DL4CS2843) खड़ी है, जिसके पास गौवंशी पशु का शव पड़ा हुआ है।

सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जहां मौके पर एक गौवंशी पशु का शव ,पशु वध के उपकरण तथा घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुये।

जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त कार से 02 व्यक्ति घटना कारित करने के उपरान्त ग्रामीणों के आ जाने पर भागते हुए दिखाई दिए है।

स्थानीय पुलिस द्वारा गौवंशी पशु के शव को नियमानुसार चिकित्सकीय परीक्षण कराकर दफनाया गया तथा इस संबंध में थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 37/2026 धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11(1)क पशु क्रूरता अधिनिमय बनाम अज्ञात पंजीकृत कर घटना के शीघ्र एंव सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण -

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे दिनांक 09.05.2026 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा गश्त के दौरान मुखबिर खास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 07.05.2026 को ग्राम अकबरपुर तिगरी के जंगल में हुई गौकशी की घटना से संबंधित अभियुक्तगण आज पुनः ग्राम भवानीपुर गंगरैन में गौकशी की घटना कारित करने की फिराक मे है।

सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घेराबन्दी कर 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, जिन्होने अपने नाम 1. राजवीर उर्फ राजू पुत्र रामेश सिंह निवासी ग्राम लदुपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर व 2. मनोज पुत्र राजवीर निवासी ग्राम लदुपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर बताये तथा अभियुक्तगण के कब्जे से 03 रस्सीयाँ एव कुल 3500/-रुपये नकदी बरामद हुई। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे गौवंशीय आवारा पशु को पकड़कर अभियुक्त बाबू कुरैशी पुत्र अब्दुल हमीद निवासी ग्राम सबदलपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर व उसके साथियों को रुपये लेकर उपलब्ध कराते थे तथा इसी क्रम में दिनांक 07.05.2026 को उन्होने ग्राम अकबरपुर तिगरी के जंगल स्थित यूकेलिप्टस के खेत

में गौवंश को लाकर बाबू कुरैशी उपरोक्त एवं उसके साथियों को सुपुर्द किया था। इसके उपरांत बाबू कुरैशी एवं उसके साथियों द्वारा उक्त गौवंश का वध किया गया था। घटना के दौरान ग्रामीणों एवं पुलिस के मौके पर पहुंचने पर अभियुक्तगण अपनी कार (DL4CS2843) एवं पशु काटने के उपकरण मौके पर छोड़कर फरार हो गए थे और आज फिर वे दोनो (राजवीव व मनोज) पुनः किसी अवारा पशु को पकडने की फिराक में थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1.राजवीर उर्फ राजू पुत्र रामेश सिंह निवासी ग्राम लदुपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

2. मनोज पुत्र राजवीर निवासी ग्राम लदुपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

1- कुल 3500/- रूपये नकदी

2-तीन रस्सी

3. घटना में प्रयुक्त सेन्ट्रो कार(DL4CS2843) और पशु वध के उपकरण (पूर्व में घटना स्थल से बरामद)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1- प्रभारी निरीक्षक श्री जयभगवान सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

2- उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

3- का0 2069 राजकुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

4- रि0का0 उमंग राठी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर